तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5217/2006/करौली हरीप्रसाद बनाम मन्दिर मूर्ति श्री जानकी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री एस.एन. बेनीवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0–1

निर्णय

दिनांक 21.01.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 एवं खसरा नम्बर 168 बाबत् मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 21–02–2006 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 25–07–2006 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–04–2018 को निरस्त कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 एवं खसरा नम्बर 168 की भूमि बाबत् मूल वाद के निर्णय तक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने एवं विवादित आराजी का रहन बैय मुन्तकिल नहीं करने का आदेश पारित किया। इसी निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5217/2006/करौली हरीप्रसाद बनाम मन्दिर मूर्ति श्री जानकी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादी अप्रार्थी विमल को रामेश्वर दास द्वारा गोद लिये जाने का बिन्दू प्रमाणित नहीं है तथा गोदनामे के गवाहान द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर गोद के बिन्दू से इन्कार किया है। उनका कथन है कि विमलकुमार अप्रार्थी संख्या–1 मूर्ति मन्दिर का कभी पुजारी नहीं रहा, ना ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है।ऐसी स्थिति में उसे मूर्ति मन्दिर की ओर से वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि मूर्ति मन्दिर का पुजारी हरिप्रसाद है तथा पंच निर्णय दिनांक 10–12–2004 के अनुसार मूर्ति मन्दिर की आराजी पर रामेश्वर महन्त के स्थान पर एक वर्ष हरिप्रसाद तथा एक वर्ष रामकिशोर व रामदयाल काश्त करेगें। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या–1 ने अपनी बहस में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5217/2006/करौली हरीप्रसाद बनाम मन्दिर मूर्ति श्री जानकी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत् होना बताते हुए निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है। मूर्ति मन्दिर का पुजारी पहले जगन्नाथ दास महन्त था, उसके बाद विमलकुमार के दत्तक पिता रामेश्वर महन्त हुए, जिनके द्वारा मूर्ति मन्दिर की आराजी पर काश्त की जाती रही। उनका कथन है कि मूर्ति मन्दिर के महन्त रामेश्वर दास द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 21–06–2004 से विमलकुमार को गोद लिया, जिसके आधार पर विमलकुमार मूर्ति मन्दिर के पुजारी हुए एवं उनकी ओर से मूर्ति मन्दिर की आराजी पर काश्त की जाती रही है। उनका कथन है कि मूर्ति मन्दिर की आराजी पर किसी अन्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में निगरानी के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र पर पारित निर्णयों की वैधानिकता पर ही विचार किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं को ही देखा जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज होने एवं रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 21–06–2004 से मूर्ति मन्दिर के पुजारी रामेश्वर दास द्वारा अप्रार्थी विमलकुमार को गोद लिये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रमाणित होता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5217/2006/करौली हरीप्रसाद बनाम मन्दिर मूर्ति श्री जानकी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। यदि मूल वाद के विचाराधीन रहते मूर्ति मन्दिर के पुजारी को विवादित आराजी से पुजारी को बेदखल किया जाता है अथवा विवादित आराजी के पूर्व के इन्द्राज के आधार पर मूर्ति मन्दिर की आराजी को खुर्दबुर्द किया जाता है तो मूर्ति मन्दिर को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य